नचिली अदालतों के लयि न्यायकि प्रदर्शन सूचकांक

चर्चा में क्यों?

नीतआियोग द्वारा न्याय वतिरण प्रणाली (justice delivery system) में तेज़ी लाने के लयि कुछ महत्त्वपूर्ण दूरगामी सुधारों का सुझाव दयिा गया है। ये सुझाव वशिष रूप से नचिली अदालतों के संदर्भ में दयि गए हैं, जहाँ पछिले कई वर्षों से लगभग तीन करोड़ मामलें लंबति पड़े हैं। एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में इन नचिली अदालतों को तकरीबन 5,000 न्यायकि अधकिारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

नीतआियोग द्वारा प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण सफिारशिें

- उच्च अदालतों एवं उसके मुख्य न्यायाधीशों द्वारा न्यायकि प्रक्रयािओं में होने वाली देरी को कम करने के लयि ज़लि अदालतों और अधीनस्थ स्तर के न्यायकि नकियों के प्रदर्शन तथा उनकी प्रक्रयाि पर नज़र रखने हेतु एक न्यायकि प्रदर्शन सूचकांक (judicial performance index) की स्थापना की जानी चाहयि।
- इस सूचकांक के अंतर्गत कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण प्रक्रयािओं को भी शामलि कयिा जा सकता है, जनि्हें पहले से ही उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदति कयिा जा चुका है। उदाहरण के तौर पर, दनि-प्रतदिनि के न्यायकि कार्यों का भार जजों के ऊपर से हटाकर उन्हें प्रशासनकि अधकिारियों को सौंपा जाए।
- इससे जजों को अधकि से अधकि मामलों की सुनवाई करने का समय मलिगा तथा कुछ हद तक इस समस्या का समाधान भी हो सकेगा।
- हालाँकि, इस प्रक्रयाि में वभिनि्न प्रकार के मामलों के लयि गैर-अनवािर्य समय-सीमा (non-mandatory time frames) तय कयि जाने की आवश्यकता होगी।
- न्यायाधीशों का कार्यभार कम करने के लयि न्यायकि प्रणाली में अलग से एक प्रशासनकि कैडर (administrative cadre) बनाए जाने की आवश्यकता है। न्यायकि स्वतंत्रता बनाए रखने के लयि इस संवर्ग द्वारा प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपनी रपिोर्ट देनी चाहयि।
- इस संबंध में स्वचालन (automation), इलेक्ट्रॉनकि अदालतों की सक्षमता (enablement for electronic court) तथा मामलों के प्रबंधन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगकिी, अदालती समय-सारणी के इलेक्ट्रॉनकि प्रबंधन (electronic management) और सभी अदालतों का एकीकृत राष्ट्रीय न्यायालय में स्थानान्तरण जैसी अतरिक्ति अदालती प्रक्रयािओं को भी उच्च प्राथमकिता दी जानी चाहयि।
- इस संबंध में न्यायकि जनशक्तऔिर बुनयािदी ढाँचे की पर्याप्तता का नर्धिारण करने के लयि न्यायकि आँकड़ों (judicial statistics) को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना चाहयि।
- इस संबंध में अधकि प्रभावी कार्यवाही करने एक लयि भारत सरकार द्वारा वशि्व के अन्य देशों द्वारा अपनाई गई प्रक्रयािओं एवं प्रणालयिों के वषिय में भी अध्ययन कयिा जाना चाहयि।
- इसके लयि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे - आस्ट्रेलयिाई न्यायकि प्रशासन संस्थान (Australasian Institute of Judicial Administration), संघीय न्यायकि केंद्र (Federal Judicial Center) यू.एस., नेशनल सेंटर फॉर स्टेट कोर्ट्स (National Center for State Courts) यू.एस. तथा सब-ऑर्डनिेट कोर्ट्स ऑफ संगिापुर (Subordinate Courts of Singapore) द्वारा अपनाए गए 'ग्लोबल मेज़र्स ऑफ कोर्ट परफॉर्मेंस' (global measures of court performance) के वषिय में भी वचिार कयिा जा सकता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/judicial-performance-index-for-lower-courts